



04AA 002327/15



अमृत डेटे
14-3-15

अध्याय २२ क अधिनियम (१९४७) अधिनियम
 प्रवर्तकारी अधिनियम १९४८ की धारा
 ४६(१) के अन्तर्गत
 अध्याय: भारतीय अन्तर्गत अधिनियम
 (इंडियन स्टाम्प एक्ट) १९४९ की धारा
 १३ के अन्तर्गत
 अधिनियम संख्या २३
 अधिनियम संख्या २३
 अधिनियम (या अधिनियम) अधिनियम संख्या २३
 अधिनियम अधिनियम संख्या २३

with the permission
 L.R.D.C. Sindhar
 vide Gen No. 272 K
 dt 28-01-15
 14/3/15

श्री अमृत डेटे पिता स्व० जो वार्कम डेटे

कामा - समिती कामा पिता

स्मिडेगा

14-3-15


लेख्यकारो:- श्री अमृत डेटे पिता स्व० जो वार्कम डेटे
 जाति- खड़िया, पेशा- खेतोबारो, निवास ग्राम- समिडेगा
 बर टेलो, थाना- स्मिडेगा, जिला- स्मिडेगा ।

बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 118 / 2015

पैन न० ए.डब्ल्यू.आई.पी. टी. 8982जी.

7



04AA 002328/15

--2--

§2§ लेख्यधारो :- श्री सलोम कण्डुलना पिता स्व० आनन्द मसो ह
कण्डुलना जाति- मुण्डा, पेशा- खेतो बारी, निवास ग्राम-मुड़िया,
थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 119 / 20-15

§3§ लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला बिला कलामो पुत्र पुत्रादिक
सदा दिन वास्ते बिक्री होता है ।

§4§ मूल्य :- मोबलिंग तेरह लाख डेया सठ हजार रुपया अके
13,66,000/- रुपया होता है ।

§5§ सम्पति :- एरा जिया त अन्दर मौजूदा - सिमडेगा महतो टोली,
थाना- सिमडेगा, थाना नं० 117, स्वर रजिस्ट्रो ऑफिस वो
जिला- सिमडेगा के अन्तर्गत खाता नं० 56 ४४ प्पन ४ प्लॉट नं०
1790 ४ सतरह सौ नब्बे ४ रकबा 1.19 एकड़ में से 0.30 एकड़

४ तोस डिसमिल ४ जिसकी चौ हस्ती :-

उत्तर :- टांड प्लॉट नं० 1809,

दक्षिण :- पी. सी. सी. सड़क,


पूरब :- परतो पत्थल,

पश्चिम :- टांड निज बिक्रेता ।

मालगुजारी 10 पैसा ४ दस पैसा ४ अलावे सेस सालाना ।

इसल वद
14-3-15

किशोर खोसला गिना - इ सिमस खोसला
ग्राम - खेवई चिरोहोली
पौर - खेवई
पाना - (सिमडेगा) जिला - सिमडेगा
14-3-15



--3--

04AA 002329/15


वर्णित बिक्रीत जमीन आवासीय है जिसपर मकान या किसी प्रकार का निर्माण नहीं है ।

§ 1§ चुंकि मुझ लेख्यकारो को मकान निर्माण हेतु रूपयों को निहायत जरूरत पड़ो और बिना जमीन बेवे इस समय रूपया मिलने का कोई दूसरा उपाय नहीं पाकर मैंने लेख्यधारो से मेरो जमीन खरोदने का प्रार्थना किया जिसे उन्होंने जमीन खरोदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

§ 2§ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन को स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारो के हाथ नगद कोमत चुकता पाकर बेधा वो बेधी गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारो वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेधी गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

§ 3§ मैं प्रकृता करता हूँ कि वर्णित बिक्रीत जमीन हमारो खतियानो जमीन है जो आर. एम. में सानो खड़िया कौरह के नाम से नाप दर्ज है जो मेरे परदादा हैं । मेरे परदादा, दादा एवं पिता का मृत्यु हो चुको है । उक्त जमीन का आपसी मौखिक भैयादो बँटवारा हो चुको है और आपसी मौखिक भैयादो बँटवारा के मुताबिक बिक्रीत जमीन मेरे पिता के हिस्से में पड़ो तथा मेरे

31/12/20
14-3-15



--4--

04AA 002330 | 15

पिता को मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त जमीन मुझे उत्तराधिकारी के हस्तगत से प्राप्त मेरे नीज हिस्से को जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है तथा किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या वारदेन नहीं है ।


§ 4§ चूंकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित स्वस्थ हैं अतः जमीन खरोद बिक्री हेतु अनुमति के लिए न्यायालय श्रीमान् उप सभाहर्ता भूमि सुधार, स्मिडेगा के न्यायालय में डो टानागपुर कार्रगारो अधिनियम को धारा 46 के तहत आवेदन दिया जिसका वाद संख्या 272आर.811/2014-15 है जिसको स्वीकृति दिनांक 28. 1. 15 को प्राप्त हुई जिसका डा.पांक 748118 /T O दिनांक 28. 1. 15 है ।

§ 5§ अब चाहिए कि लेख्यधारो अपनी जमीन पर का विज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझे अपने उपयोग में लावे वो झारखण्ड सरकार वजरिए अंधल अधिकारी, स्मिडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दा खिल छा रिज कराकर तारीख लेख्य से वो अपाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§ 6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी स्वदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

में, घोषणा करता हूँ कि विक्रय वाली जमीन भू-हब्बन्दो, कैसरे हिन्द, खास महल, भू-दान, मैरात, लोज, आम गैर मज्कूआ से सम्बन्धित नहीं है ।

27
21/12/20
14-3-15



--5--

04AA 002331/15

मैं लेख्यकारो यह घोषणा करता हूँ कि बिक्रोत जमीन
वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

अमित शर्मा
14.3.15




अमित शर्मा
14.3.15

प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यकारी के
बाँधे बाँधे का पाँचों अंगुलियों का दाप
मेरे समक्ष लिखा गया।

संजय कुमार मर्हो
अधिकारी

14.03.2015



--6--

में लेख्यधारो यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन को खरोदगो के बाद कुल धारित जमीन मिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सत्यम कुडुलगा
14-3-15



3/14/15
14-3-15


प्रमाणित किया जाता है कि लेख्यधारो के बायें हाथ का पांचवां अंगुलिका को दक्षिण में री समझा लिया गया।

सत्यम कुडुलगा
अधिकृत
14.03.15

सत्यम कुमार मल्ला
अधिकृत

14.03.2015

1000Rs.



--7--


उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का
प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना
वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही /- संजय कुमार मल्लो
अधिकारी

॥ प्रारूपकर्ता ॥ 14.03.2015
तारीख:-

31/3/15
14-3-15

1000Rs.



--8--

प्रमाणित किया जाता है कि इस विग्रह पत्र-दस्तावेज के कुल आठ पृष्ठों में कुल 620 शब्द टंकित हैं जो छापडन रहित वो नक्शा के साथ संग्रह है तथा पेज नं० 9, 10, 11 एवं 12 खाली है।

टंकक
सी०म०ए०ए०
14-3-15
मो० महबूब
कचहरो परिसर,
स्मिडेगा।

अक्षय टंड
14-3-15

1000Rs.



--9--

डिक्टेट
१५-३-१५